

NER

25

आर.वी.ई सं. 158/2019

भारत सरकार(Government of India)  
रेल मंत्रालय(Ministry of Railways)  
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

सं. ई(एनजी)-2004/टीआर/22  
25.09.2019

नई दिल्ली, दिनांक

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.  
(मानक सूची के अनुसार)

दिनांक 20.11.19.....  
प्रमाणित.....  
संख्या 1/20.....  
BY: CPD/MS  
APD/MQ

विषय : सतर्कता के आधार पर स्थानांतरित कार्मिकों की उनके मूल रेलवे/मंडल पर पुनः तैनाती ।

अन्य रेलों/मंडलों में सतर्कता/अनुशासनिक आधार पर स्थानांतरित दोषी रेल कार्मिकों का उनके मूल रेलवे/मंडल में प्रत्यवर्तन का मुद्दा पिछले कुछ समय से बोर्ड का ध्यान आकर्षित कर रहा है ।

2. रेलवे बोर्ड के सतर्कता विभाग के परामर्श के साथ इस मामले की विस्तृत जांच की गई है । बोर्ड के दिनांक 23.10.2006 के समसंख्यक वाले पत्र में दिए गए अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार के मामलों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

- (i) ऐसे मामले जिनमें अंत में दोषमुक्त कर दिया गया:- संबंधित कर्मचारी से वापस मूल रेलवे/मंडल में तैनाती का यदि कोई निवेदन प्राप्त हुआ है तो अनुशासन एवं अपील(डी&एआर) संबंधी कार्यवाही के समाप्त होने के बाद किसी भी समय महाप्रबंधक द्वारा उन पर विचार किया जा सकता है; अन्य शब्दों में, आवेदक के दूसरी रेलवे/मंडल में रहने पर कोई न्यूनतम समय सीमा लागू नहीं होगी ।
- (ii) मामले जिनमें अंत में लघु शास्ति लगाई जाए :- संबंधित कर्मचारी से वापस मूल रेलवे/मंडल में तैनाती का यदि कोई निवेदन प्राप्त हुआ है तो महाप्रबंधक द्वारा उन पर विचार केवल दंड की अवधि समाप्त होने की तारीख से 3 साल बाद ही विचार किया जाएगा ।
- (iii) मामले जिनमें अंत में बड़ी शास्ति लगायी जाए :- संबंधित कर्मचारी से वापस मूल रेलवे/मंडल में तैनाती का यदि कोई निवेदन प्राप्त हुआ है तो महाप्रबंधक द्वारा उन पर विचार केवल दंड की अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम 6 साल बाद ही विचार किया जाएगा ।

596

1692  
28-11

21/11  
28/11/19  
Ruhil  
Sant S. Jata  
29-11-19  
Recd  
29-11

कार्यालय महाप्रबन्धक (का।मं०,  
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर  
प्रचारित  
इं०पी०सं० 03-25.....  
क्रमांक सं० 235-2019.....  
पत्र सं० 3/283/का. 1.1.आ.प. 1 (चार)  
दिनांक 13.12.2019.....  
महाप्रबन्धक (कार्मिक)